(72)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संख्या–5न0वि0/विविध–03/2018 3437 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–130 में प्रावधान है कि राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन, नगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत उपभोग पर 2.5 प्रतिशत कर, उपभोक्ता अधिभार, शुल्क अथवा दण्ड लगा सकेगी। अर्थात शहरी क्षेत्र के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित विद्युत शुल्क पर 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार नगरपालिका लगा सकेगी।

2. इसके अतिरिक्त Bihar Electricity Duty Amendment Act, 2002 की कंडिका–2 (f) में निम्नांकित प्रावधान किये गये है:– **"NO DUTY SHALL BE LEVIABLE ON UNITS OF ENERGY:-** Consumed for any purpose which the State Government may by notification, in this behalf declare to be a public purpose and such exemptions may be subject to such conditions and exemption's if any, as may be mentioned in the said notification".

3. अतः इस मामले पर सम्यक् विचारोपरांत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि शहरी विद्युत उपभोक्ताओं पर वर्तमान में लागू शुल्क के अतिरिक्त बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–130 में प्रावधानित 2.5 प्रतिशत उपभोक्ता अधिभार शुल्क अथवा दण्ड की वसूली ऊर्जा विभाग द्वारा की जाएगी तथा उसी प्रक्रिया के तहत नगर निकायों को उनका अंश/हिस्सा उपलब्ध कराया जाएगा, जिस प्रकार निबंधन विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में 2 प्रतिशत निबंधन शुल्क की राशि संबंधित नगर निकायों को उपलब्ध करायी जाती है। नगर निकायों को उक्त 2.5 प्रतिशत राशि के वितरण हेतु प्रक्रिया का निर्धारण उर्जा विभाग द्वारा किया जायगा।

4. साथ ही Bihar Electricity Duty Amendment Act, 2002 की कंडिका–2 (f) के तहत नगर निकायों में अधिष्ठापित किए जाने वाले Street Light को सार्वजनिक उद्देश्य से लगाया गया माना जायेगा।

5. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू समझा जाएगा।

6. इस पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–05.06.2018 के मद संख्या–13 पर स्वीकृति संसूचित है।

बिहार सरकार के आदेश से

27/6/2018

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5न0वि0/विविध–03/2018 3437 /न0वि0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक 27/06/18

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

D:\Ranjan, 2018\Shuhbh\Sanlekh 08.05.2018.docx

2. उनसे अनुरोध है कि वे कृपया मुद्रित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

27/6/2018

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5न0वि0/विविध–03/2018 3437 /न0वि0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक– 27/06/18

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार पटना/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/6/2018

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक– 5न0वि0/विविध–03/2018 3437 /न0वि0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक– 27/06/18

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक–सह–संयुक्त सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप निदेशक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/6/2018

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5न0वि0/विविध–03/2018 3437 /न0वि0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक– 27/06/18

प्रतिलिपिः–नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/6/2018

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

D:\Ranjan, 2018\Shuhbh\Sanlekh 08.05.2018.docx